भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *407
21 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

किन्नू की उपज के लिए प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

***407. श्री कुलदीप इंदौरा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीगंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किन्नू उत्पादक अपनी उपज राज्य से बाहर भेजते हैं क्योंकि उन्हें इसका उचित मूल्य नहीं मिलता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का किन्नू फल के लिए कोई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने या कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में श्रीगंगानगर में ऐसी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तर हेतु"किन्नू की उपज के लिए प्रसंस्करण इकाई की स्थापना" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या †*407 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई) योजना के अंतर्गत, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में किन्नू की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में पहचान की गई है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफ़एमई योजना के तहत 30.06.2025 तक राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है ।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मंत्रालय, भंडारण, परिवहन और मूल्य संवर्धन सहित खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार के लिए सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, फसलोपरांत नुकसान में कमी लाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने में मदद करता है।

ये योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि माँग-आधारित हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी योजनाओं के माध्यम से पात्र उद्यमियों को किन्नू प्रसंस्करण इकाइयों सहित संबंधित बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****